वैक्सीनेशन में पसर रहा सन्नाटा • रतलाम शहर में 40 हजार से ज्यादा लोगों का दूसरा डोज बाकी, सेंटर से फोन लगाकर बुलवा रहे

हेलो सर... आपने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया, लोग बोल रहे - दीपावली के कारण टाइम नहीं मिल रहा, नतीजा-पेंडेंसी बढ़ी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

वैक्सीनेटर - हेलो सर... पहला डोज लगवाने के बाद अब आपका दूसरे डोज का नंबर आ गया है, लेकिन आप नहीं आ रहे?

लोग - मुझे याद है लेकिन अभी दीपावली के कारण व्यस्त हूं, समय नहीं मिल पा रहा।

वैक्सीनेटर - ठीक है सर, लेकिन जल्द आप दूसरा डोज लगवा लीजिए, वह जरूरी है।

लोग - ठीक है, समय मिलते ही आ जाऊंगा।

यह बातचीत वैक्सीनेटर और आम लोगों के बीच की है, जो हर वैक्सीन सेंटर पर सामने आ रही है। दरअसल, रतलाम शहर में लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज तो बढ़-चढ़ कर लगा लिया था लेकिन अब दूसरा डोज लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन सेंटरों का स्टाफ लोगों को फोन लगाकर केंद्र पर बुलवा रहा है लेकिन अभी इसमें भी कामयाबी नहीं मिल रही। लोग दीपावली के कारण व्यस्त होने की बात कह रहे हैं, कोई व्यापार तो कोई घर की सफाई होने का कहकर टाल रहा है। रतलाम शहर में अब तक 40 हजार लोगों को दूसरा डोज लगना बाकी है।

रुझान कमजोर: ज्यादातर लोग व्यस्त होने की बात कह रहे, दूसरे टीके के प्रति नहीं ले रहे दिलचस्पी

अब तक कहां कितना टीकाकरण

ब्लॉक	पहला डोज%	दूसरा डोज%
आलोट	92.70	29.25
बाजना	71.67	17.59
जावरा	99.17	37.14
पिपलौदा	81.60	39.59
सैलाना	94.59	17.78
रतलाम ग्रामीण	90.66	34.90
रतलाम शहर	102.21	64.18

64% लोगों को लगा है दूसरा डोज

इधर, रतलाम शहर में पहले डोज का टीकाकरण लगभग पूरा हो गया है। शहर में 2,34,245 लोगों को पहला डोज लगा है, जो मतदाता सूची के मान से 102.21% है। वहीं इसी के अनुसार 1,50,328 लोगों को वैक्सीन का दूसरा टीका लग गया है, जो 64.18% ही है। इनमें से 40 हजार से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी दूसरे डोज की तारीख आ चुकी है लेकिन वे वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र पर नहीं आ रहे।

कुछ लोग नहीं आ रहे

पेंडेंसी खत्म करने के लिए फोन लगाकर केंद्र पर बुला रहे हैं। कुछ लोग अभी नहीं आ रहे हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी थे, जिन्होंने शहर में वैक्सीन लगवाई थी। उनका आंकड़ा भी बता रहा है, पेंडेंसी खत्म करने की कोशिश है।

लोकेश वैष्णव,
शहर प्रभारी

दै. भास्कर 23/10/21

सफाई कर्मचारियों को नाइट में ड्यूटी लगाने का किया विरोध

स्वतंत्र समय, रतलाम। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा वार्दो के कर्मचारियों की ड्यूटी नाइट गैंग सफाई कर्मचारियों को वार्डों से गैंग कर्मचारियों नाइट में ड्यूटी लगाने का विरोध किया गया। दिवाली के पावन पर्व के पहले समस्त सफाई कामगारों को वेतन, सातवां वेतन की तीसरी किस्त देने के लिए ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन के अवसर पर संघर्ष समिति सदस्य राम कल्याणे, विजय खरे, कमल भाटी, संजय प्रेमाल, कमल शिंदे, अमर चौहान सैकड़ों सफाई कामगारों के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। मांगे नहीं मानने के उपरांत 48 घंटे के पश्चात किसी भी क्षण सफाई बंद हड़ताल करनी पड़ेगी। जिसकी जवाबदारी निगम प्रशासन की रहेगी। स्वतं.समय

स्वतंत्र समय 23/10/21

बढ़ी जागरुकता | महिला और पुरुष बराबरी से पहुंच रहे हैं टीकाकरण केन्द्र

अब पहले से 25% ज्यादा दूसरे डोज का टीकाकरण

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. टीकाकरण केन्द्रों पर दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। पिछले तीन दिनों के टीकाकरण की स्थिति पर गौर करें तो इस दौरान पहले डोज से एक लाख ज्यादा लोग दूसरा डोज लगवाने के लिए पहुंचे हैं। यानी 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पहला डोज 6 लाख से अधिक लोगों को लगा, तो दूसरा डोज 7 लाख लोगों ने लगवाया। इसमें महिला और पुरुषों की सहभागिता भी बराबरी से देखी गई है। अगले सप्ताह से दूसरा डोज लगवाने के लिए अलग-अलग चरणों में अभियान चलाया जाएगा, जिससे दो से ढाई करोड़ लोगों को दो माह के अंदर संपूर्ण वैक्सीनेशन किया जा सके।

68081265
कुल वैक्सीनेशन

49719239 पहला डोज | 18362026 दूसरा डोज

22 अक्टूबर की स्थिति में

35943255 पुरुष | 32123911 महिला

बड़े शहरों से आगे निकले छोटे शह

प्रदेश में इस माह हर दिन करीब दो से तीन लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इनमें दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या अधिक रही। भोपाल, इंदौर के बजाय अब छोटे जिलों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर और भोपाल में हर दिन तीन से पांच हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सतना, मुरैना, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में 10 से 20 हजार लोग हर दिन वैक्सीन लगवा रहे हैं।

युवा आगे

टीका लगाने के मामले युवा अभी भी आगे हैं। अभी तक 6.80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जा चुकी है। इनमें 4.2 करोड़ लोग 18 से 44 आयु वर्ग के हैं। 60 व से अधिक आयु वाले सबसे कम हैं।

पत्रिका 23/10/21

सफाईकर्मियों का प्रदर्शन : नगरीय निकायों में व्यापमं के जरिए भर्ती का विरोध, मांगी स्थायी नियुक्ति

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

नगरीय निकायों में सहायक वर्ग 3 और 4 के पदों के लिए व्यापमं के माध्यम से भर्ती किए जाने के विरोध में रतलाम जिले के विभिन्न नगरीय निकायों के स्थाई सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोला है। अस्थाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर वर्षों से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किए जाने की मांग की है। आलोट, जावरा, नामली, धामनोद और सैलाना के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मांगें पूरी नहीं होने पर सफाई कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

दरअसल, व्यापमं के माध्यम से नगरीय निकायों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती किए जाने के विरोध में प्रदेश भर में नगरीय निकाय के सफाई कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। रतलाम जिले के नगरीय निकाय के सफाई कर्मचारी संघ ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।

अस्थाई सफाई कर्मियों की यह हैं मांगें

- व्यापमं द्वारा सहायक वर्ग-3, सहायक राजस्व निरीक्षक और भृत्य आदि पदों पर निकाली गई नई भर्तियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- वर्षों से अस्थाई वैतन भोगी, मस्टरकर्मी, श्रमिक और देवेभो को विभागीय परीक्षा आयोजित कर स्थाई नियुक्ति दी जाए।

सिंघम - २२

सिंघम टाईम्स २२/१०/२१

मुखर्जीनगर में नालियों की सफाई नहीं

रतलाम | मुखर्जीनगर में सफाई नहीं होने से नालियां जाम हो रही हैं और क्षेत्र में मच्छर हो रहे हैं। क्षेत्र की मीरा जोशी ने बताया एक तरफ तो डेंगू का प्रकोप है। वहीं हमारी कॉलोनी में सफाई ही नहीं हो रही है। इससे नालियां जाम हो रही है। नालियों में जानवर गिर रहे हैं। लेकिन ना तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है और ना ही नगर निगम के किसी अफसर का। बारिश में तो दिक्कत बढ़ जाती है। पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता है।

दे. भास्कर 23/10/21

द्वाराका रेसीडेंसी की भवन निर्माण अनुज्ञा व कॉलोनी विकास अनुमति का हुआ प्रतिसंहरण

रतलाम। नैलाना रोड ओवर ब्रिज के पास स्थित द्वारका रेसीडेंसी की भवन निर्माण अनुज्ञा व कॉलोनी विकास अनुमति को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रतिसंहरण किया गया।

पत्रिका 23/10/21

31 मार्च 2022 तक सप्ताह में 5 दिन लगेंगे सरकारी दफ्तर

रतलाम. शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस की व्यवस्था को शासन ने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील कर दिया है। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डी.के. नागेंद्र ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील है, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

शासकीय कार्यालयों में 31 तक 5 कार्य दिवस

रतलाम | शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) की व्यवस्था 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डीके नागेंद्र ने बताया राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में पूरे प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तय किए गए थे। यह आदेश 31 अक्टूबर तक प्रभावशील है, अब इसे 31 मार्च तक बढ़ाया गया है।

दै. भास्कर 23/10/21

अगले साल मार्च तक प्रत्येक सप्ताह पांच दिन ही खुलेंगे सरकारी कार्यालय

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह पांच कार्य दिवस की व्यवस्था को फिलहाल जारी रखने का फैसला किया गया है। 31 अक्टूबर तक लागू यह व्यवस्था अब मार्च 2022 तक जारी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में पांच कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) के सप्ताह की व्यवस्था को लागू किया गया था। कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह नियंत्रित है लेकिन कुछ प्रकरण अब भी सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक सप्ताह में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था को फिलहाल जारी रखा जाए।

नई दुनिया 23/10/21

शासकीय कार्यालयों में 5 दिन कार्य जारी रहेगा

रतलाम ● शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) की व्यवस्था 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी। उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग डी.के. नागेंद्र ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस निर्धारित किए गये थे। यह आदेश 31 अक्टूबर तक प्रभावशील है, जिसे 31 मार्च तक बढ़ाया गया है।

सन्देश 23/10/21

11 फीसद कम महंगाई भत्ते पर अटके मध्य प्रदेश के पौने सात लाख कर्मचारी

प्रसारण न्यूज • भोपाल

महंगाई भत्ता आठ फीसद बढ़ाने की नई घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों को 20 फीसद महंगाई भत्ते का लाभ मिलने लगेगा। केंद्र के कर्मचारियों को पहले से 28 फीसद महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। केंद्र द्वारा तीन फीसद बढ़ाने की नई घोषणा के बाद यह लाभ बढ़कर 31 फीसद हो जाएगा। इस तरह राज्य के पौने सात लाख कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 11 फीसद कम महंगाई भत्ते पर अटक गए हैं।

राज्य के कर्मचारियों में इस बात की नाराजगी है। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार द्वारा आठ फीसद महंगाई भत्ता बढ़ाने पर खुशी जाहिर करने के साथ ही केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का सुझाव भी शासन को दिया है।

कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच 31 फीसद महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

कर्मचारी संगठनों के अपने-अपने तर्क

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी का कहना है कि जुलाई 21 से महंगाई भत्ता न देकर शासन ने तीन महीने में 840 करोड़ रुपये बचाए हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों को तीन महीने में 3 हजार 720 से लेकर 48 हजार 560 रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार को महंगाई भत्ते में 16 फीसद की वृद्धि करनी थी, जिसकी जगह आठ फीसद देने का निर्णय लिया है। केंद्र द्वारा तीन फीसद भत्ता बढ़ाने के बाद राज्य के कर्मचारी 11 फीसद महंगाई भत्ते से पीछे हो गए। केंद्र सरकार सहित कई राज्यों की सरकार ने कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से 28 फीसद महंगाई भत्ता दिया था। प्रदेश के कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 से आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से न देकर अक्टूबर 2021 से दिया जाएगा। ऐसा होने से 16 फीसद महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। जो आठ फीसद मिल रहा है वह तीन महीने बाद मिलेगा। इस कारण कर्मचारियों को जो लाभ मिलना था वह नहीं मिलेगा। कर्मचारी नेता अनिल वाजपेई, अरुण वर्मा का कहना है कि गैस, पेट्रोल, तेल, दाल, अनाज सभी चीज महंगी हो रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार दीपावली के मौके पर तीन फीसद महंगाई भत्ता एवं बोनस अपने कर्मचारियों को दे रही है। जबकि, राज्य के कर्मचारी 11 फीसद महंगाई भत्ते से फिर पीछे हो जाएंगे। मप्र संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ना अच्छा है, पर इसका लाभ संविदा कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए।

प्रसारण

प्रसारण 23/10/21

भवनों को तोड़ने के लिए जारी किये नोटिस

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोतम के निर्देश पर अवैध निर्माण के विरुद्ध तीव्र गति से कार्रवाई जारी है। इस तारतम्य में नगर निगम द्वारा सालाखेड़ी तथा बंजली क्षेत्र में अवैध अनुमति से बनाए गए 4 भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने से निर्माण नगर निगम की अनुमति से किया जाना था परंतु ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति ली गई। उल्लेखनीय है कि बरबड़ क्षेत्र में दो आवासीय भवन तथा एक कमर्शियल कांप्लेक्स का निर्माण बंजली ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति लेकर किया गया तथा महू नीमच रोड पर एक होटल निर्माण सालाखेड़ी ग्राम पंचायत से अवैध अनुमति लेकर किया गया। इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा सचिवों की भी जांच की जाकर दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

समय जगत 23/10/21

ऐसे तो निकल जाएगा 85 लाख का पेचवर्क

रतलाम | सीवरेज, पानी की पाइप लाइन और बारिश से खराब हुई सड़कों का पेचवर्क किया जा रहा है। चालू रोड पर पेचवर्क किया जा रहा है जबकि कलेक्टर के स्पष्ट आदेश है कि यदि पेचवर्क के लिए रास्ता बंद करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो कर सकते हैं। ऐसे में यह पेचवर्क ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। डालूमोदी बाजार से न्यू क्लॉथ मार्केट रोड पर पेचवर्क करता अमला। फोटो | विट्टू मेहता

दै. भास्कर 23/10/21

नगर निगम द्वारा अब तक 7558 आयुष्मान कार्ड बनाए गए

प्रसारण न्यूज • रतलाम

- नगर निगम के आईटी सेल में 22 दिनों में 186 हितग्राहियों के बनाएं आयुष्मान कार्ड, - निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवाएं आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत 1 से 22 अक्टूबर तक 186 हितग्राहियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराए जाने हेतु आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाए जा रहे हैं।

नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 22 अक्टूबर को 1 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, इस तरह 1 से 22 अक्टूबर तक 186 हितग्राहियों के कार्य बनाए जा चुके है, इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाए गए थे, इस तरह अब तक 7558 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना [illegible] पात्र हितग्राहियों और उनके परि[illegible] सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आ[illegible] कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रू[illegible] लिये जावें।

प्रसार०।

प्रसारण 23/10/21

जिला अस्पताल की ओपीडी में भीड़ बरकरार, 22 दिन में 36 हजार से ज्यादा मरीज पहुंचे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में वायरल का प्रकोप भी जारी है। ओपीडी में भीड़ बरकरार है। सिर्फ 22 दिन में ही 36 हजार से ज्यादा मरीज अस्पताल में पहुंचे हैं। आंकड़ा अब पिछले महीने के करीब पहुंच रहा है, पिछले महीने 55 हजार मरीज रजिस्टर्ड हुए थे।

इस साल मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल में रोज 2 हजार मरीज पहुंच रहे है। ज्यादातर मरीजों में बुखार के साथ ही सिरदर्द, बदन दर्द की शिकायत है। अस्पताल में इस महीने 22 दिन में ही 36950 मरीज पहुंचे हैं। पिछले दो महीनों को छोड़ दें तो ओपीडी की यह संख्या पिछले 1 साल में प्रत्येक महीने से ज्यादा है। अगस्त में 43667 मरीज रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं सितंबर में 55586 मरीज थे।

सबसे कम ओपीडी मई में

पिछले सालभर में सबसे कम ओपीडी मई महीने में रही है। इस महीने 14916 मरीज रजिस्टर्ड हुए। कोरोना के चलते मरीज कम हो गए थे। मई में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए थे।

5 दिन में रजिस्टर्ड मरीज

22 अक्टूबर	1365
21 अक्टूबर	2070
20 अक्टूबर	1436
19 अक्टूबर	1383
18 अक्टूबर	2306

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है। निगम आयुक्त श्री ज़ारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगर निगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 5:30 से 8 बजे तक व शाम को 6 से रात 10 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

एलाइजा जांच की 14 रिपोर्ट में एक नया डेंगू का मरीज मिला

रतलाम। जिला अस्पताल लैब की एलाइजा जांच की 14 रिपोर्ट में शुक्रवार को भी डेंगू का एक नया मामला मिला। शहर में एडिज लार्वा सर्वे के दौरान 36 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कराया गया। साथ ही 30 पानी टंकी, 27 कंटेनर, पांच बेकार टायर और चार कूलरों में भी डेंगू का लार्वा मिला।

शुक्रवार को भी जिला अस्पताल, बाल चिकित्सालय, मेडिकल कालेज और निजी अस्पतालों में डेंगू के नए मामले सामने आए। जिले में डेंगू के मामलों की संख्या 434 पहुंच गई है। हालांकि नए मामले कम होने से अब अस्पतालों में मरीजों को खाली बेड मिल रहे हैं। इधर एंटीजन किट जांच में भी डेंगू के नए मामले मिल रहे हैं। मौसमी बुखार का जोर अभी भी बना हुआ है।

मेडिकल कालेज अस्पताल में अभी भी 250 से अधिक मरीज भर्ती होकर उपचार ले रहे हैं। राहत सिर्फ इतनी है कि उपचार के बाद मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिला अस्पताल में भी लगातार नए मामले आ रहे है। सिविल सर्जन डा. आनंद मेंदेलकर ने बताया कि डेंगू मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। जिला अस्पताल में लगातार एंटीजन किट से भी जांच हो रही है, ताकि मरीजों के उपचार में देरी न हो।

15 स्थानों पर कोविशील्ड और को-वैक्सीन लगेगी

रतलाम | शहर में लगातार टीकाकरण हो रहा है। शनिवार को शहर में 15 स्थानों पर कोविशील्ड और को-वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। कोविशील्ड का पहला डोज गांधीनगर स्थित कम्युनिटी हॉल, अलकापुरी स्थित कम्युनिटी हॉल, बिरियाखेड़ी स्थित रेडक्रॉस भवन, सुभाष नगर स्थित मांगलिक भवन, कालिका माता मंदिर धर्मशाला, सागोद रोड स्थित काश्यप सभागृह, दोबत्ती स्थित डीआरएम ऑफिस, जिला अस्पताल, कसारा बाजार माहेश्वरी धर्मशाला, मोमिनपुरा बड़ी मस्जिद, अशोक नगर मदरसा, जावरा रोड स्थित रामेश्वर मंदिर, निर्मला भवन व ईशप्रेम बस्ती में लगाया जाएगा। को-वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज राजेंद्र नगर स्थित आईएमए हॉल और गर्भवती को एमसीएच में लगाया जाएगा।

नईदुनिया 23/10/21

दैनिक वेतनभोगियों ने किया प्रदर्शन

व्यापमं के माध्यम से नवीन भर्तियों पर रोक लगाने की मांग

रतलाम। दैनिक वेतन भोगियों का सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम मांगे नहीं मानी तो 15 दिन बाद सफाई पेयजल आवश्यक कालीन कार्यों सहित मैदानी व्यवस्था बाधित करने की चेतावनी दी।

दैनिक वेतन भोगियों ने व्यापम के माध्यम से नवीन भर्ती को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और नवीन कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार गोपाल सोनी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के

माध्यम से दैनिक वेतन भोगियों ने मांग की है की शासन द्वारा व्यापम के माध्यम से नवीन भर्ती कराई जा रही थी जो गलत है हम ईसका विरोध करते है प्रदेश भर में समस्त निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, मस्टरकर्मी तथा स्थाई कर्मियों का शोषण कर रही है निकाय में कई मास्टर एवं दैनिक वेतन भोगी कार्यरत हैं जिन्हें बार बार निकाला व रखा जाता है जिससे उनकी आजीविका पर भी असर पड़ता है और उन्हें परिवार के पालन पोषण में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि शासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 15 दिवस बाद उग्र आंदोलन कर शहर की सफाई पेयजल आवश्यक कालीन कार्यों और मैदानी व्यवस्थाओं को बाधित कर दिया जाएगा।

अग्निबाण २२

अग्निबाण २२/१०/१२

इस साल डेंगू बेकाबू • अब तक 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके, हर मोहल्ले में मिल रहे डेंगू के मरीज

15 से 35 डिग्री में पनपता है लार्वा, शहर में 20

नवंबर तक खतरा... इसके बाद ठंड बढ़ेगी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर में हर साल ठंड के सीजन में भी मिलते हैं डेंगू के केस, अंचल में भी आ रहे मरीज

डेंगू बेकाबू हो रहा है। तकरीबन हर मोहल्ले में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक कुल केस 400 से ज्यादा हैं जो नया रिकॉर्ड है। इधर डेंगू कम होने के आसार भी नहीं हैं क्योंकि डेंगू का लार्वा 15-35 डिग्री तक तापमान में आसानी से पनपता है, इधर हमारे शहर की हिस्ट्री बताती है कि नवंबर के आखिरी दिनों में तापमान 15 डिग्री से नीचे जाता है।

इस साल परिस्थितियां मलेरिया विभाग की टीम के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, ऐसे में तापमान कम होने पर डेंगू के केस कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। अधिकारियों की मानें तो डेंगू के मच्छर का लार्वा पनपने के लिए 15 से 35 डिग्री के बीच का तापमान सबसे बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही तापमान 15 डिग्री से कम होने लग जाता है तो लार्वा को पनपने में परेशानी होती है।

बीते सालों में मामले

2015	70
2016	32
2017	34
2018	242
2019	162
2020	42

नई मशीन : 12 यूनिट रक्त के कंपोनेंट एक साथ बन सकेंगे

डेंगू के कारण प्लेटलेट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। मानव सेवा समिति ब्लड बैंक रक्त की पूर्ति कर रहा है। अब ब्लड बैंक में 16 लाख से ज्यादा की राशि की रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगल मशीन लगाई गई। इसमें 12 यूनिट रक्त के कंपोनेंट एक साथ बनाए जा सकते हैं। इसके पहले मानव सेवा समिति में दो मशीन 6-6 यूनिट रक्त से कंपोनेंट बनाने का काम करती थी। अब तीन मशीनों से मिलकर 24 यूनिट रक्त के कंपोनेंट एक साथ बनाए जा सकते हैं। समिति संस्थापक ज्ञानमल सिंगावत, अध्यक्ष मोहनलाल पाटीदार (मुरलीवाला), पूर्व अध्यक्ष नजीर शेरानी, पूर्व प्रभारी गोविंद काकानी सहित अन्य ने गुरुवार को मशीन की शुरुआत की।

हमारे शहर में अभी तापमान 18 और 32 डिग्री के बीच - इधर, हमारे शहर में अभी तापमान 18 और 32 डिग्री के बीच ही बना हुआ है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। जोकि डेंगू के मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति है। न्यूनतम तापमान तो 3 दिन से 20 डिग्री के नीचे आया है। आर्द्रता भी लगातार 80 से 60 प्रतिशत के बीच ही बनी हुई है।

20 दिसंबर के बाद 10 डिग्री से कम होता है तापमान - इधर इस साल भी हमारे शहर में ठंड पुराने ट्रेंड के मुताबिक चल रही है। यदि ऐसा ही दौर रहता है तो शहर का ट्रेंड है कि नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में पारा 10 से 11 डिग्री तक पहुंचता है। 20 नवंबर तक पारा 15 डिग्री के आसपास रहता है। 5 साल से ऐसा ही हो रहा है। 20 दिसंबर तक तापमान 10 डिग्री तक रहता है, इसके बाद 10 डिग्री से कम होता है।

तीन साल से 60% मामले अक्टूबर के बाद - शहर में पिछले तीन साल से 60% मामले अक्टूबर के बाद ही सामने आ रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने तक तो सिर्फ 7 मामले ही थे, इसके बाद केस बढ़े थे। सालभर में कुल 42 मामले सामने आए थे। 2021 से पहले सर्वाधिक मामले 2018 में मिले थे, उस दौरान 242 केस आए थे। ठंड में ही 60% मामले मिले थे।

ठंडे पानी में डेंगू का लार्वा सर्वाइव नहीं कर पाता है-

डेंगू का लार्वा 15-35 डिग्री तक आसानी से पनपता है। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। घरों लार्वा ना पनपने दें। तापमान कम होने पर ठंडे पानी में सर्वाइव नहीं करेगा। शहर में लगातार एंटी लार्वा एक्टिविटी हो रही है।

डॉ. प्रमोद प्रजापति, मलेरिया अधिकारी, रतलाम

दै. भास्कर 23/10/21

ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंस, प्रार्थना भी जारी

शासन के आदेश को नजरअंदाज कर सरकारी स्कूलों में कोरोना के नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां

भास्कर संवाददाता | रतलाम

राज्य सरकार ने 50 फीसदी उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। प्राथमिक से लेकर हायर सेकंडरी तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खोलने के दौरान शासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि स्कूल खोलने के दौरान ना प्रार्थना होगी और ना ही बच्चे सामूहिक रूप से लंच कर सकेंगे लेकिन सरकारी स्कूलों में इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

हर नियम क्या प्राइवेट स्कूलों वालों के लिए ही :- मप्र प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि सिर्फ स्कूल खोलना है। ना तो प्रार्थना करवाना है और ना ही सामूहिक लंच हो सकता है लेकिन सरकारी स्कूलों में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यदि कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। हर नियम क्या प्राइवेट स्कूल वालों के लिए ही बने हैं। यदि सरकारी स्कूल नियमों को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।

... तो यह गलत है

बीआरसी मुकेश राठौर ने बताया नियमों में कुछ शिथिलता की है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। यदि बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं तो गलत है।

दै. भास्कर 23/10/21

जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन हेतु रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी पदाभिहीत

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी पदाभीहित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा तहसीलदार गोपाल सोनी रहेंगे। विकासखंड स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारियों में तहसीलदार श्रीमती अनीता चोकोटिया, मृगेंद्र सिसौदिया, श्रीमती किरण बरवड़े आनंद जायसवाल भगवान सिंह ठाकुर श्रीमती अश्विनी गोह्या रहेंगी।

प्रसारण

प्रसारण 23/10/21

नगर निगम ने काम रोका, अब निर्णय मुफ्ती के फतवे के बाद

सीवरेज खुदाई में निकली मजार

पत्रिका बिग इश्यू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के सैलाना यार्ड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे नगर निगम के सीवरेज कार्य के लिए जेसीबी से खुदाई चल रही थी। इसी दौरान फाटक वाले बाबा की दरगाह के करीब बीच सड़क पर एक नई मजार निकली। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रईस खान का कहना है कि जब जेसीबी ने खुदाई इस क्षेत्र में की तो अचानक जेसीबी का पंजा उछल गया। यह क्षेत्र अंग्रेजो के समय का कब्रिस्तान रहा है।

क्षेत्र के रईस खान ने बताया सुबह से क्षेत्र में सीवरेज का कार्य चल रहा था। करीब 11 - 11.30 बजे अचानक से जेसीबी का पंजा उछल

गया। इसको देखने जब गए तो अंदर से मजार निकली। इसके बाद इसकी सूचना पूरे शहर में फैल गई व आस्था के साथ देखने वालों की भीड़ लग गई। बाद में शहर काजी सहित नगर निगम के सीवरेज कार्य प्रभारी सुरेशचंद्र व्यास, उपयंत्री श्याम सोनी, सीवरेज कंपनी के अधिकारी आदि पहुंचे।

पहले नगर निगम के अधिकारियों ने क्षेत्रीय पूर्व पार्षद भगतसिंह भदोरिया की उपस्थिति में निरीक्षण किया। इसके बाद शहर काजी एहमद अली सहित अन्य की उपस्थिति में चर्चा की गई। जहां से मजार निकली है उस क्षेत्र में फिलहाल आने जाने का मार्ग बंद कर दिया गया है। शहर काजी अली व निगम अधिकारियों ने करीब बीस मिनट तक चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रीय लोग भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में निर्णय लिया गया कि पहले शहर काजी इस मामले में मुफ्ती आदि वरिष्ठ से फतवा लेंगे, इसके बाद मजार के बारे में निर्णय लिया जाएगा। निगम अधिकारी व्यास ने रहवासियों को भरोसा दिया जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र के इस हिस्से का काम रोक दिया गया है।

मजार निकलने की सूचना मिलने पर आए है। नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की गई है। अंतिम निर्णय मुफ्ती के फतवे के बाद लिया जाएगा।

- अहमद अली, शहर काजी

मजार निकलने की सूचना के बाद निरीक्षण किया है। आने जाने के रास्ते को फिलहाल रोका गया है। सभी से चर्चा के बाद इस पर मामले में निर्णय होगा।

- सुरेशचंद्र व्यास, सिटी इंजीनियर

पत्रिका

पत्रिका 23/10/21

न्यूज गैलरी

90 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को 90 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 41715, ट्रैक्टर-ट्राली से 8185, कम्पेक्टर सूखा कचरा 211950, कम्पेक्टर गीला कचरा 19175 कुल 62680 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

2544 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को 534 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया। अब तक 2544 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

द्वारका रेसीडेंसी की निर्माण अनुमति निरस्त

सुनवाई में दिए दस्तावेज के निरीक्षण के बाद लिया फैसला

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सैलाना रोड ओवरब्रिज के पास स्थित द्वारका रेसीडेंसी में कलेक्टर कुमार पुरुषोतम के आदेश पर आगे की 15276 वर्गफीट शासकीय भूमि को सुरक्षित कर यहां बनी सीसी एप्रोच रोड तोड़ने के बाद बुधवार को नगर निगम ने रेसीडेंसी की निर्माण अनुमति भी निरस्त कर दी है। इधर मामले में बिल्डर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 23 अक्टूबर को सुनवाई होना है।

कलेक्टर ने 11 अक्टूबर को जारी आदेश में नगर निगम आयुक्त व उप संचालक नगर व ग्राम व निवेश विभाग को विधि अनुसार परीक्षण कर अनुमति निरस्त करने व दोनों विभागों के उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का भी आदेश दिया था जिन्होंने बिल्डर के साथ मिलीभगत कर शासकीय भूमि का रास्ता बताया। पूरे मामले में 15 दिन में प्रतिवेदन देने लिए भी निर्देश दिए गए थे।

मामले में नगर निगम ने द्वारका रेसीडेंसी के संचालक जितेंद्र नागल को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा। 18 अक्टूबर व 21 अक्टूबर को सुनवाई के बाद बुधवार को निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने निर्माण

निर्माणाधीन द्वारका रेसीडेंसी। ● फाइल फोटो

अनुमति निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कलेक्टर द्वारा 11 अक्टूबर को जारी आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम में द्वारका रेसीडेंसी की भूमि का नामांतरण नहीं कराने पर अनुमति निरस्त करने का उल्लेख है।

बिल्डर ने दी यह दलील

सुनवाई में फर्म संचालक जितेंद्र नागल, भागीदार फखरूद्दीन काबा ने नजूल विभाग से जारी एनओसी, टीएनसीपी, नगर निगम निर्माण अनुमति के साथ ही राजस्व विभाग को अपर कलेक्टर द्वारा भेजा गए पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर तर्क दिया कि ये सभी अनुमति वैध है, इसलिए निर्माण अनुमति निरस्त नहीं की जा सकती है। निगमायुक्त द्वारा नगर निगम में नामांतरण किए जाने की जानकारी मांगी तो बताया कि नामांतरण आवेदन नगर निगम में लंबित है।

यह है मामला

मालूम हो कि 28 अगस्त को कलेक्टर के निर्देश पर द्वारका रेसीडेंसी के आगे के हिस्से की भूमि पर पोल लगाकर शासकीय भूमि सुरक्षित की गई थी। 11 अक्टूबर को जारी आदेश में कलेक्टर ने उल्लेख किया कि हैदरी एंड संस के नाम रकबा 0.780 हेक्टयर भूमिस्वामी स्वत्व की दर्ज थी। आवेदक को स्वय की भूमि में ही एप्रोच रोड का निर्माण करना था। इसी भूमि पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश से स्वमित्व मिला था, लेकिन नगर निगम तथा नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों के साथ दुरभिसंधि कर शासकीय भूमि को रास्ता बताकर अनुमति प्राप्त की गई। अगर इस शासकीय भूमि को सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो 15276 वर्गफीट भूमि जिसका बाजार मूल्य तीन करोड़ से अधिक है, उसका शासन को नुकसान होता। डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए कतिपय अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया गया। आयुक्त नगर निगम तथा उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अनुमति का परीक्षण कर विधि अनुसार निरस्त करने की कार्रवाई करें।

> नजूल अनुमति निरस्त किए बगैर निर्माण अनुमति निरस्त करना तर्कसंगत नहीं है। जब आइल मिल संचालित होती थी, तब भी यहीं से आवागमन होता था। हाईकोर्ट में सभी तथ्य रखेंगे। -जितेंद्र नागल, डेवलपर द्वारका रेसीडेंसी

नई.

नईदुनिया 23/10/21

राशन दुकानों का तीन साल में नवीनीकरण जरूरी

रतलाम| राशन दुकानों का हर तीन साल में नवीनीकरण कराना जरूरी किया गया है। इसके लिए कलेक्टरों को प्राधिकार नवीनीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। राशन दुकान संचालक एसडीएम या जिला खाद्य अधिकारी को आवेदन देकर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकता है।

फॉर्मेट में जानकारी देने पर ही मिलेगी लीव

रतलाम | सरकारी कॉलेजों में पदस्थ महिला कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव तभी ले सकेंगे जब वे विभाग के निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करेंगे। अब सादे कागज पर आवेदन देने पर लीव स्वीकृत नहीं की जाएगी। फॉर्मेट में जीवित बच्चों की संख्या बतानी होगी।

लेवल नहीं मिला रहे

रतलाम | रतलाम में इन दिनों गड्ढों के पेचवर्क का काम किया जा रहा है। कई जगह सड़कें बहुत खराब हो गई हैं। यहां पेचवर्क के दौरान लेवल नहीं मिलाने से वाहनों को हिलकोचे खाते हुए सफर करना पड़ रहा है।

दै. भास्कर 23/10/21

सरकारी जमीन पर बना ली थी सड़क • सुनवाई और बिल्डर के दस्तावेज जांचने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने की कार्रवाई

डूब गई द्वारका

नगर निगम ने निरस्त की निर्माण की अनुमति, रेरा रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सरकारी जमीन को सड़क बताने का धोखा देकर खड़ी की जा रही द्वारका रेजीडेंसी की निर्माण अनुमति शुक्रवार को नगर निगम ने निरस्त कर दी है। नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया ने बिल्डर की सुनवाई और उसके द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। यह विकास अनुमति नगर निगम ने 14 अक्टूबर 2019 को जारी की थी। इसे विकास अनुमति मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निरस्त किया गया है। दो माह से अधूरी पड़ी द्वारका रेजीडेंसी अब पूरी नहीं बन पाएगी। अब जल्द ही द्वारका रेजीडेंसी का रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) रजिस्ट्रेशन और टीएंडसीपी की स्वीकृति भी रद्द हो जाएगी। जांच के बाद प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश पर दोनों ही विभागों ने कार्रवाई तेज कर दी है। उधर कार्रवाई को लेकर बिल्डर ने उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी है, जिसकी सुनवाई 23 अक्टूबर को होना है।

धोखे की द्वारका रेजीडेंसी

दो महीने से अधूरी पड़ी द्वारका रेजीडेंसी, अब पूरी नहीं बन पाएगी, बिल्डर ने उच्च न्यायालय में लगाई याचिका

इस आधार पर नगर निगम ने की कार्रवाई

- कॉलोनाइजर ने स्वामित्व की भूमि के अलावा पूर्व दिशा में स्थित सरकारी जमीन 15276 वर्गफीट में से 8950 वर्गफीट में बिना अनुमति लिए अवैधानिक रूप से सीमेंट कांक्रीट कर सड़क बना दी गई।
- न्यायालय कलेक्टर द्वारा 11 अक्टूबर को दिए आदेश में साफ लिखा है कि सर्वे क्रमांक 43/1 की 15276 वर्गफीट भूमि बिल्डर जितेंद्र नागल के स्वामित्व की नहीं है, न ही सरकारी सड़क के रूप में दर्ज है।
- राजस्व रिकॉर्ड में पूरी जमीन सरकारी होकर शासन के अधीन है, जिसका बाजार मूल्य तीन करोड़ रुपए से अधिक है।
- द्वारका रेजीडेंसी की स्वामित्व की भूमि का नामांतरण भी अब तक नगर निगम में नहीं हो पाया है।

द्वारका रेजीडेंसी

नोटिस देगा नगर निगम

द्वारका रेजीडेंसी फर्म द्वारा बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर अवैधानिक रूप से बनाई गई सीसी सड़क तोड़ने के बाद अब नगर निगम हर्जाना वसूलने का नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। सीसी सड़क तोड़ने की कार्रवाई सोमवार से प्रारंभ हुई व गुरुवार को पूर्ण हुई। इन चार दिनों में अतिक्रमण हटाने में जितने साधन-संसाधन लगे हैं। उसका हर्जाना फर्म से 15 हजार रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वसूला जाएगा।

भास्कर इश्यू

12 अक्टूबर को प्रकाशित खबर

यह है मामला - सर्वे नंबर 43/1131 और चेतक ब्रिज के बीच लगभग 15276 वर्ग सरकारी जमीन है। इसमें से लगभग 8500 वर्गफीट पर द्वारका रेजीडेंसी फर्म ने बिना अनुमति के सीमेंट कांक्रीट कर दिया था। खरीदारों को धोखा देने के लिए उसे सड़क बताकर दुकानों और फ्लैट्स बुक कर रहे थे।

सरकारी जमीन खरीदने को आगे आए निवेशक

कार्रवाई के बाद द्वारका रेजीडेंसी के सामने वाली 15276 वर्गफीट सरकारी जमीन को खरीदने के लिए निवेशकों ने रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ ने सरकारी अमले से संपर्क भी किया है। लगभग तीन करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली यह जगह शहर के बीच होने से निवेशकों की नजर आ गई है।

दै. भास्कर 23/10/21

पत्रिका की खबरों का असर : कलेक्टर कोर्ट के आदेश के बाद मंजूरी निरस्त

गड़बड़ी की द्वारका : नगर निगम ने निरस्त की मंजूरी

मनमर्जी का निर्माण

द्वारका रेसीडेंसी का गड़बड़झाला

रतलाम. शहर में सरकारी भूमि को अपना बताकर बनाई गई गड़बड़ी की द्वारका की मंजूरी को नगर निगम ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया। कॉलोनी सेल व नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इसके बाद निरस्त की गई मंजूरी का सूचना पत्र भी द्वारका रेसीडेंसी के संचालक जितेंद्र नागल को दे दिया। इसमे कलेक्टर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देकर मंजूरी निरस्त करने की बात कही गई है।

द्वारका रेसीडेंसी का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। सर्वे 43-1 रकबा 1.710 हैक्टेयर भूमि शासकीय नजूल के नाम से दर्ज है। सर्वे 43-11.31 व चेतक ब्रिज के बीच 15276 वर्गफीट भूमि रिक्त होकर सरकारी है। 24 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन अपर कलेक्टर ने राजस्व विभाग को सचिव को रिपोर्ट भेजी थी, इस बात का उल्लेख था कि 15276 वर्गफीट भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। करीब 8 हजार वर्गफीट भूमि पर पक्का निर्माण द्वारका रेसीडेंसी संचालक ने कर लिया।

लिए थे कर्ज

द्वारका रेसीडेंसी में 128 फ्लैट में से 40 की बुकिंग हुई थी। 30 फ्लैट में निवेशकों ने बैंक से कर्ज लेने के लिए आवेदन दिए थे। 15 दुकानें भी बनाई गई थी जिनका किराया एक से डेढ़ करोड़ रुपए था। निगम उपयात्रियों ने अतिक्रमण की कुल 40 रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन द्वारका रेसीडेंसी द्वारा की जा रही गड़बड़ी को उजागर नहीं किया था।

लगातार

पत्रिका
प्रकाशित खबर।

यह लिखा है आदेश में

निगम आयुक्त झारिया के आदेश में लिखा है कि जितेंद नागल एवं अन्य को सर्वे 43-1131-मि-1 रकबा 0.760 भूमि तथा नगर सुधार न्यास से प्राप्त 8736 वर्गफीट सहित कुल रकबा 8401.49 वर्गमीटर भूमि पर समूह आवास के लिए दी गई अनुमति तथा भवन अनुज्ञा के प्रतिसंहरण पूर्व सुनवाई का अवसर देने 3 सितंबर को पत्र 923 जारी किया था। नागल व भागीदार फकरुद्दीन काबा 8 सितंबर को उपस्थित हुए। निगम ने सुनवाई के लिए 16 सितंबर तय की। नागल व काबा ने मप्र उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में दायर याचिका डब्ल्यू.पी.-18104 प्रस्तुत की। 15 सितंबर को इंदौर उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए। इससे कलेक्टर के यहां सुनवाई पूरी होने तक नगर निगम को सुनवाई स्थगित करने को कहा गया।

11 को आया आदेश

सुनवाई के बाद 11 अक्टूबर को न्यायालय कलेक्टर ने आदेश पारित किया। इसमे निगम व टीएनसी के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताते हुए द्वारका रेसीडेंसी के संचालक द्वारा किए गए निर्माण को अवैध बताया। मंजूरी निगम आदि ने दी गई थी, उसे निरस्त करने को कहा। 18 अक्टूबर को नागल ने निगम में दस्तावेज दिए जो पूर्व में द्वारका रेसीडेंसी निर्माण के समय दिए थे। सुनवाई 18 अक्टूबर को अपूर्ण रही। इसके बाद 21 अक्टूबर को सुनवाई फिर शुरू हुई।

टीएनसी जिम्मेदार

नगर निगम ने मंजूरी का जिम्मेदार नगर व ग्राम निवेश विभाग याने की टीएनसी को बताया। आयुक्त ने लिखा है कि निगम ने जो भी मंजूरी दी है, वो सभी नजूल विभाग की अनापत्ती, भू - व्यपवर्तन आदेश, नगर व ग्राम निवेश विभाग की मंजूरी के बाद दी गई। 15276 वर्गफीट सरकारी भूमि में से 8950 वर्गफीट भूमि पर पक्का सीसी निर्माण कर दिया। कलेक्टर कोर्ट के आदेश अनुसार 15276 वर्गफीट भूमि नागल की नहीं है। इस भूमि का बाजार मूल्य 3 करोड़ रुपए है। आयुक्त झारिया ने आदेश के अंत में लिखा है कि द्वारका रेसीडेंसी का नामातंरण भी नियम अनुसार नगर निगम में नहीं करवाया गया। इसके चलते नगर निगम के कॉलोनी सेल द्वारा 25 मई 2019 को क्रमांक - 523 - कॉलोनी प्रकोष्ठ - 2019 को कॉलोनी विकास की अनुमति व 14 अक्टूबर 2019 को क्रमांक 0489 - आरटीएमसी - एचओडी - डब्ल्यू 12 - 19 -20 को जारी भवन निर्माण की अनुमति को निरस्त किया जाता है। इसको मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 में प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए निरस्त किया गया है।

पत्रिका 23/10/19

11 प्रतिशत कम महंगाई भत्ते पर अटके राज्य के पौने सात लाख कर्मचारी

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ाने की नई घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलने लगेगा। केंद्र के कर्मचारियों को पहले से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। केंद्र द्वारा तीन प्रतिशत बढ़ाने की नई घोषणा के बाद यह लाभ बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह राज्य के पौने सात लाख कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 11 प्रतिशत कम महंगाई भत्ते पर अटक गए हैं। राज्य के कर्मचारियों में इस बात की नाराजगी है। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार द्वारा आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने पर खुशी जाहिर करने के साथ ही केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का सुझाव भी शासन को दिया है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

कर्मचारियों ने जताई तीन माह में इस तरह नुकसान की संभावना

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 3,720 से 6,960 रुपये।
- तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 4,680 से 16,824 रुपये।
- द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 13,464 से 27,120 रुपये।
- प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 29,625 से 48,560 रुपये।

कर्मचारी संगठनों के अपने-अपने तर्क

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी का कहना है कि जुलाई 21 से महंगाई भत्ता न देकर शासन ने तीन महीने में 840 करोड़ रुपये बचाएं हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों को तीन महीने में 3 हजार 720 से लेकर 48 हजार 560 रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार को महंगाई भत्ते में 16 प्रतिशत की वृद्धि करनी थी, जिसकी जगह आठ प्रतिशत देने का निर्णय लिया है। केंद्र द्वारा तीन प्रतिशत भत्ता बढ़ाने के बाद राज्य के कर्मचारी 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते से पीछे हो गए। नई

असमानता

- केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ
- तीन % बढ़ने से 31 % हो जाएगा केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता

नईदुनिया 23/10/21

सुप्रीम कोर्ट की केंद्र, राज्य को फटकार

खाली पदों को नहीं भर सकती तो आयोगों को खत्म कर दें

नई दिल्ली ● उच्चतम न्यायालय ने उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों और समितियों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों पर बार-बार आदेश के बावजूद नियुक्तियां नहीं करने पर शुक्रवार को राज्य एवं केंद्र सरकारों को एक बार फिर फटकार लगाई है और कहा कि यदि वे इन आयोगों और संस्थानों को नहीं चलाना चाहती तो इन्हें बंद कर दे।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बार-बार आदेश देने पर भी सरकार खाली पदों को भरने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। पीठ ने कहा कि नियुक्तियों के लिए सरकार को आदेश देने में हमारी काफी ऊर्जा लगती है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। सुनवाई के बाद 11 अगस्त को राज्य, केंद्र और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को आदेश दिया था कि वे शिकायत निवारण आयोग और समितियों के खाली पदों को 8 सप्ताह में भर दे, लेकिन सरकारों पर ताजा अदालती आदेशों का कोई असर नहीं हुआ। इसी वजह से पीठ ने आज सख्त टिप्पणियां की। पीठ ने कहा कि उपभोक्ता निवारण आयोगों और समितियों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। स्वदेश

स्वदेश 23/10/21

चुनाव की तैयारियां...

रतलाम, नप्र। मध्यप्रदेश में अब कोरोना पूरी तरह से काबू में है। कोविड-19 का पहला टीका भी लगभग सभी को लग चुका है। यही वजह है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां है।

राज्य चुनाव आयुक्त बसंतप्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर को त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव की सभी तैयारियां जल्द पूरी करने को कहा है। वे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर से मुखातिब हो रहे थे। कहा कि कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी नहीं हो सके थे। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है या मार्च 2022 तक पूरा हो रहा है उन पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे। मतदान तीन चरणों में होगा। कहा कि ऐसे मतदान केन्द्र जहां साढ़े सात सौ से अधिक मतदाता है वहां एक ओर मतदान कर्मी की नियुक्ति मतदान दल में की जाएगी। मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर जो भी कमियां हो उन्हें दूर करने को कहा है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर वहां सुरक्षा के जरूरी इंतजाम तय किए जाए।

जवाबदारी तय

रतलाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए जवाबदारी तय की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोतम खुद रिटर्निंग अधिकारी होंगे। जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर जमुना भिड़े और तहसीलदार गोपाल सोनी होंगे विकासखंड स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारियों में तहसीलदार अनिता चोकोटिया, मृगेन्द्र सिसौदिया, किरण दरवड़े, आनंद जायसवाल तथा भगवानसिंह ठाकुर के अलावा अश्विनी गोहिया रहेंगी। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के चुनाव के लिए भी रिटर्निंग सहायक एवं रिटर्निंग अधिकारी तय किए है।

प्रभात किरण 22/10/21

दीपावली पूर्व नगर निगम कर्मचारियों को दिया जाए वेतन

प्रसारण न्यूज • रतलाम

दीपावली पूर्व नगर निगम कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की मांग के साथ नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति आगे आई है। नगर निगम प्रशासक एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के नाम उपायुक्त विकाससिंह सोलंकी को सौंपे ज्ञापन के दौरान सफाई संरक्षकों ने संयुक्त रूप से सभी कर्मचारियों को त्यौहार पहले वेतन का भुगतान करने की मांग प्रमुखता से की है।

इस दौरान सफाई संरक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के साथ एरियर राशि देने की मांग प्रमुखता से रखी। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के कक्ष के बाहर उपायुक्त सोलंकी को ज्ञापन देने के दौरान संघर्ष समिति के राम कल्याणे, संजय पैमाल, विजय खरे, कमल शिंदे, कमल भाटी एवं अमर चौहान प्रमुख रूप से मौजूद थे।

प्रसारण

प्रसारण 23/10/21

11 प्रतिशत कम महंगाई भत्ते पर अटके राज्य के पौने सात लाख कर्मचारी

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ाने की नई घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलने लगेगा। केंद्र के कर्मचारियों को पहले से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। केंद्र द्वारा तीन प्रतिशत बढ़ाने की नई घोषणा के बाद यह लाभ बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह राज्य के पौने सात लाख कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 11 प्रतिशत कम महंगाई भत्ते पर अटक गए हैं। राज्य के कर्मचारियों में इस बात की नाराजगी है। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार द्वारा आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने पर खुशी जाहिर करने के साथ ही केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का सुझाव भी शासन को दिया है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

कर्मचारियों ने जताई तीन माह में इस तरह नुकसान की संभावना

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 3,720 से 6,960 रुपये।
- तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 4,680 से 16,824 रुपये।
- द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 13,464 से 27,120 रुपये।
- प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 29,625 से 48,560 रुपये।

कर्मचारी संगठनों के अपने-अपने तर्क

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी का कहना है कि जुलाई 21 से महंगाई भत्ता न देकर शासन ने तीन महीने में 840 करोड़ रुपये बचाएं हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों को तीन महीने में 3 हजार 720 से लेकर 48 हजार 560 रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार को महंगाई भत्ते में 16 प्रतिशत की वृद्धि करनी थी, जिसकी जगह आठ प्रतिशत देने का निर्णय लिया है। केंद्र द्वारा तीन प्रतिशत भत्ता बढ़ाने के बाद राज्य के कर्मचारी 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते से पीछे हो गए। नई

असमानता

- केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ
- तीन % बढ़ने से 31 % हो जाएगा केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता

नईदुनिया 23/10/21

सफाई कर्मचारियों को नाइट में ड्यूटी लगाने का किया विरोध

रतलाम। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा वार्डों के कर्मचारियों की ड्यूटी नाइट गैंग सफाई कर्मचारियों को वार्डों से गैंग कर्मचारियों नाइट में ड्यूटी लगाने का विरोध किया गया। दिवाली के पावन पर्व के पहले समस्त सफाई कामगारों को वेतन, सातवां वेतन की तीसरी किस्त देने के लिए ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन के अवसर पर संघर्ष समिति सदस्य राम कल्याणे, विजय खरे, कमल भाटी, संजय प्रेमाल, कमल शिंदे, अमर चौहान सैकड़ों सफाई कामगारों के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। मांगे नहीं मानने के उपरांत 48 घंटे के पश्चात किसी भी क्षण सफाई बंद हड़ताल करनी पड़ेगी। जिसकी जवाबदारी निगम प्रशासन की रहेगी।

खुले में गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 21 अक्टूबर को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर पायल पैलेस चांदनी चौक व जोशी चौमुखीपुल पर 5000-5000 तथा हाकीमी प्लायवुड साक्षी पेट्रोल पम्प के पास पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इन्दौर समाचार 23/10/21

होटल सहित तीन अन्य को बगैर मंजूरी निमाण पर जारा ाकए

दो साल में दो नोटिस, कार्रवाई एक में भी नहीं

पत्रिका करंट इश्यू

रतलाम. शहर में एक होटल, एक कॉम्प्लेक्स सहित दो आवास नगर निगम की मंजूरी के बगैर बन गए। इनकी मंजूरी ग्राम पंचायतों ने जारी कर दी। हैरानी की बात यह, होटल संचालक को 2019 में नोटिस निगम ने जारी किया था, जो जवाब मिला, निगम के अधिकारी संतुष्ट हो गए थे।

नगर निगम ने सालाखेड़ी रोड स्थित होटल लावन्या पैलेस, बड़बड़ रोड स्थित दो मकान सहित इसी क्षेत्र के एक कामिर्शियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह सभी शहर सीमा में नगर निगम के अंतर्गत आते हैं व ग्राम पंचायत से मंजूरी लेकर निर्माण पूरा कर लिया। निगम ने इनको तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर को शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद जांच हुई व अब नोटिस जारी किए गए हैं।

इनको जारी हुए नोटिस

सालाखेड़ी रोड स्थित होटल लावन्या के संचालक अशोक कुमार माहेश्वरी को। निर्माण क्षेत्र करीब तीन हजार वर्गफीट बड़बड़ में 3500 वर्गफीट में राजूलाल रोशनलाल द्वारा बनाई गई दुकानें बड़बड़ में चंद्रप्रकाश त्रिवेणी द्वारा बनाया गया 588 वर्गफीट का मकान बड़बड़ में मोहम्मद आमिर अंसारी द्वारा 1500 वर्गफीट में बनाया गया मकान

पंचायतों पर कार्रवाई नहीं

सालाखेड़ी रोड क्षेत्र में बनी होटल लावन्या को मंजूरी सालाखेड़ी ग्राम पंचायत ने दी थी। इसी प्रकार बड़बड़ में हुए अवैध निर्माण पर मंजूरी बंजली सरपंच व सचिव ने दी थी। नगर निगम ने तो नोटिस जारी कर दिए, लेकिन जिन ग्राम पंचायत ने अवैध निर्माण में सहयोग किया व गलत तरीके से मंजूरी दी, उन पर कार्रवाई फिलहाल तय नहीं हुई है।

दो साल पूर्व में भी मिला था नोटिस

सालाखेड़ी रोड पर होटल लावन्या को वर्ष 2019 में भी नगर निगम ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था। बाद में होटल संचालक द्वारा दिए गए जवाब से निगम संतुष्ट हो गया। अब एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है।

यह लिखा है नोटिस में

नोटिस में लिखा गया है कि निर्माण कार्य बगैर मंजूरी के किया गया है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार यह अवैध कृत्य है। इसको एक सप्ताह में तोड़ा जाए, अन्यथा नगर निगम तोड़ेगा व 15 हजार रुपए प्रतिघंटा राशि वसूलेगा।

क्या कहते है नियम

नगर निगम अधिनियम कहता है कि अगर निजी भूमि पर कोई निर्माण अवैध हुआ है तो निर्माण की मंजूरी के लिए लगने वाली राशि का पांच गुना तक दंड लगाया जा सकता है। निर्माण के दौरान आगे से 10 फीट, शेष तीन स्थान से 5-5 फीट एमओएस के नियम अनुसार स्थान छोड़ना जरूरी है। अधिकारी चाहे तो निर्माण को अवैध मानते हुए अतिक्रमण को तोड़ भी सकते है। इसके अलावा एमओएस अनुसार स्थान नहीं छोड़ा गया है तो जो निर्माण है उसको तोड़ा जा सकता है।

जवाब के बाद कार्रवाई होगी

अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए गए है। जवाब के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। - **हनीफ शेख,** सिटी इंजीनियर, नगर निगम

पत्रिका

पत्रिका 23/10/21

शहर में ज्वलनशील पदार्थ के 95 गोडाउन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में दो स्थान पर एक सप्ताह के अंदर हुई आगजनी की घटना के बीच नगर निगम ने ज्वलनशील प्रदार्थ के गोडाउन की तलाश का 49 वार्डो में अपना सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट प्रभारी कार्यपालन यंत्री व स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल ने आयुक्त सोमनाथ झारिया को सौप दी है। इसमे 95 स्थान पर ज्वलनशील प्रदार्थ के गोडाउन पाए गए है। अब शनिवार को सुबह आयुक्त इस रिपार्ट को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को देंगे। सोमवार को कलेक्टर सभी को नोटिस जारी कर सकते है।

शहर के मोहन नगर, लक्कड़पीठा सहित फ्रीगंज जैसे क्षेत्र में आगजनी की घटना फिर नहीं हो इसके लिए कलेक्टर कुमार ने शहर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें के गठित दलों द्वारा वार्डवार किये गये सर्वे करने को कहा था। इसके बाद 14 अक्टूबर को दल बनाया गया था व 19 अक्टूबर को रिपोर्ट देना थी। रिपोर्ट पूरी हो गई है। 95 स्थान पर गोडाउन व दुकानें ज्वलनशील प्रदार्थ व खतरनाक वस्तु के भंडारण पाए गए है।

सोमवार को सभी को नोटिस जारी हो सकते है। इस मामले में कलेक्टर ने शहर अनुविभागीय अधिकारी से भी एक सर्वे करवाया है। शनिवार को नगर निगम की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद सोमवार को सभी गोडाउन संचालक को नोटिस जारी हो सकते है। इसके लिए सभी को एक पखवाड़े का समय दिया जाएगा। एक पखवाड़े में गोडाउन संचालक अपने गोडाउन नहीं हटाते है तो इनको सील कर दिया जाएगा।

फैक्ट फाइल

वार्ड नंबर	गोडाउन मिले
1 से 8	9
9 से 16	14
17 से 24	9
25 से 32	14
33 से 40	14
41 से 49	35

निगम ने कलेक्टर के आदेश के बाद सभी 49 वार्ड में सर्वे करवाया है। सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को मिल गई है। अब इसको शनिवार को कलेक्टर को सौप दिया जाएगा।
- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका २३/१०/१२

ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण के 95 गोडाउन व दुकानें पाई गई

रतलाम। शहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविष्य में ना हो, इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकान के गठित दलों द्वारा वार्डवार किए गए सर्वे के तहत नगर में ज्वलनशील पदार्थ एवं अन्य खतरनाक वस्तु भण्डारण के 95 गोडाउन व दुकानें पाई गई। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा गठित दलों द्वारा किए गए सर्वे के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 8 में 9, वार्ड क्रमांक 9 से 16 में 14, वार्ड क्रमांक 17 से 24 में 9, वार्ड क्रमांक 25 से 32 में 14, वार्ड क्रमांक 33 से 40 में 14 व वार्ड क्रमांक 41 से 49 में 35 इस तरह कुल 95 गोडाउन व दुकानें ज्वलनशील पदार्थों की पाई गई।

प्रसारण 23/10/21

95 गोडाउन में ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण मिला

रतलाम। मोहन नगर और लक्कड़पीठा क्षेत्र में आग लगने की घटना के बाद हुई जांच में शहर में 95 गोडाउन व दुकानें मिली हैं जिनमें ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण किया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम ने टीम बनाकर कबाड़ सेंटर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीज़ल, गैस सिलेंडर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानों का सर्वे करवाया था। अब सरकारी अमले ने इन पर शिकंजा कसने की तैयारी की है।

रहवासी क्षेत्रों के ज्वलनशील पदार्थों के 95 गोदाम

रतलाम। मोहन नगर ने प्लास्टिक पाइप गोदाम में आग लगने की घटना के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निगम के सर्वेदल ने ज्वलनशील पदार्थों की दुकानों, गोदामों का सर्वे पूरा कर लिया है। वार्डवार सर्वे में शहर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आइल, डीजल, गैस सिलिंडर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के 95 गोदाम व दुकानें पाई गई। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि अब नियमानुसार प्रक्रिया कर गोदामों को बाहर शिफ्ट करवाया जाएगा।

नई दुनिया 23/10/21

खुले में गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोतम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 21 अक्टूबर को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर पायल पैलेस चांदनी चौक व जोशी चौमुखीपुल पर 5000-5000 तथा हाकीमी प्लाययुड साक्षी पेट्रोल पम्प के पास पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

सफाई कर्मचारियों को नाइट में ड्यूटी लगाने का किया विरोध

रतलाम। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा वार्दो के कर्मचारियों की ड्यूटी नाइट गैंग सफाई कर्मचारियों को वार्डों से गैंग कर्मचारियों नाइट में ड्यूटी लगाने का विरोध किया गया। दिवाली के पावन पर्व के पहले समस्त सफाई कामगारों को वेतन, सातवा वेतन की तीसरी किस्त देने के लिए ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन के अवसर पर संघर्ष समिति सदस्य राम कल्याणे, विजय खरे, कमल भाटी, संजय प्रेमाल, कमल शिंदे, अमर चौहान सैकड़ों सफाई कामगारों के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। मांगे नहीं मानने के उपरांत 48 घंटे के पश्चात किसी भी क्षण सफाई बंद हड़ताल करनी पड़ेगी, जिसकी जवाबदारी निगम प्रशासन की रहेगी।

दीपावली पूर्व नगर निगम कर्मचारियों को दिया जाए वेतन

रतलाम। दीपावली पूर्व नगर निगम कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की मांग के साथ नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति आगे आई है। नगर निगम प्रशासक एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोतम के नाम उपायुक्त विकाससिंह सोलंकी को सौंपे ज्ञापन के दौरान सफाई संरक्षकों ने संयुक्त रूप से सभी कर्मचारियों को त्योहार पहले वेतन का भुगतान करने की मांग प्रमुखता से की है। इस दौरान सफाई संरक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के साथ एरियर राशि देने की मांग प्रमुखता से रखी। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के कक्ष के बाहर उपायुक्त सोलंकी को ज्ञापन देने के दौरान संघर्ष समिति के राम कल्याणे, संजय पैमाल, विजय खरे, कमल शिंदे, कमल भाटी एवं अमर चौहान प्रमुख रूप से मौजूद थे।

सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन

रतलाम। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा कर्मचारियों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया। समिति सदस्य राम कल्याणे, विजय खरे, कमल भाटी, संजय पेमाल, कमल शिंदे, अमर चौहान ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों की ड्यूटी नाइट गैंग में नहीं लगाने, वार्डो से गैंग कर्मचारियों की अन्यत्र ड्यूटी लगाने, दीपावली के पूर्व सातवें वेतनमान की एरियर राशि की तीसरी किश्त का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के बाद भी मांग पर सुनवाई नहीं की गई तो हड़ताल कर सफाई कार्य बंद कर दिया जाएगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाए जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है, वे अपने कर्त्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें, यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है, तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

दीपावली पूर्व नगर निगम कर्मचारियों को दिया जाए वेतन

रतलाम। दीपावली पूर्व नगर निगम कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की मांग के साथ नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति आगे आई है। नगर निगम प्रशासक एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के नाम उपायुक्त विकासिंह सोलंकी को सौंपे ज्ञापन के दौरान सफाई संरक्षकों ने संयुक्त रूप से सभी कर्मचारियों को त्योहार पहले वेतन का भुगतान करने की मांग प्रमुखता से की है। इस दौरान सफाई संरक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के साथ एरियर राशि देने की मांग प्रमुखता से रखी। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के कक्ष के बाहर उपायुक्त सोलंकी को ज्ञापन देने के दौरान संघर्ष समिति के राम कल्याणे, संजय पैमाल, विजय खरे, कमल शिंदे, कमल भाटी एवं अमर चौहान प्रमुख रूप से मौजूद थे।

अवैध निर्माण करने वालों की शामत आयी, हलचल तेज!

गोविंद उपाध्याय @ रतलाम

शहर में अवैध निर्माण कर बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स बना लिये अपनी मनमर्जी से उनका संचालन होने लगा, किन्तु प्रशासन ने संज्ञान में लेकर अवैध कालोनी निर्माण हो या अन्य व्यवसायिक भवन उनकी जांच पड़ताल शुरु करते ही ऐसे निर्माण करने वाले कर्ता-धर्ताओं की निंद उड़ी हुई है, उन्हें डर है कि कब प्रशासन की नजर उन पर पड़ जाए और उनके सब करें-धरे पर पानी फिर जायें।

ऐसे ही कतिपय लोग है जो नेता नगरी के नाम पर अपना गौरख धंधा चलाए हुए है, जिन्होंने बड़ी होटल, मांगलिक हाल से लगाकर स्वीमिंग पुल बना रखे है और उसमें चतुराई इस बात की कर रखी है कि इतने बड़े निवेश को शहर के नजदीक कर रखा है, उनका ग्राहक वर्ग भी शहर ही है, और उसका पूरा दोहन भी शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है। किन्तु अनुमति एवं राजस्व भूमि को ग्राम पंचायत में प्रदर्शित कर रखी है और लेन देन कर पंचायत स्तर से हर बात की अनुमति ले ली, ऐसे मामले बरबड़ क्षेत्र में अधिक है।

जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से ऐसे सभी अवैध निर्माण एवं टैक्स चोरी करने वालों की सूची बनाने को कहा है। प्रशासन की इस कार्यवाही से समूचे भू माफिया क्षेत्र में हड़कंप मचा है जो जिन्होंने गुप-चुप तरीकों से ऐसे अवैधानिक कार्य किए है।

दूसरी तरफ प्रशासन के इस कड़े रुप को दूसरे नजरिया से भी देखा जा रहा है, दीपावली का पर्व नजदीक है प्रशासन के आला अधिकारी सख्त रुप दिखायेंगे, जितना व्यापक प्रचार प्रसार होगा, भले ही कार्यवाही एक-दो पर ही होगी किन्तु माहौल अच्छा बनने से भ्रष्टाचार रुपी गंगोत्री में अनेक अधिकारी, बिचौलिये इस प्रकार की दलाल किस्म की राजनीति करने वाले लोग डुबकियां जरुर लगा लेंगे।

सिंधम - २२

सिंधम टाईम्स २२/१०/२१

सुभाषचन्द्र शॉपिंग कॉम्पलेक्स की दुकानें क्रय करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

10 नवम्बर तक ऑन लाईन निविदा जमा करा सकेंगे

प्रसारण न्यूज • रतलाम

महू रोड स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्प्लेक्स की 99 दुकानों के विक्रय किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा निकाली गई ऑन लाईन निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की गई है जिसके तहत व्यापारी, दुकानदार, नागरिक 10 नवम्बर तक दुकान क्रय करने हेतु ऑन लाईन निविदा जमा करा सकेंगे।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि शहर के मध्य, महू रोड सिटी फोरलेन स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्प्लेक्स बस स्टैण्ड परिसर के समीप होकर विशाल पार्किंग के साथ बगैर किराये के उपलब्ध 99 दुकानों के विक्रय हेतु ऑन लाईन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर नियत थी। व्यापारी, दुकानदार व नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की जाकर 10 नवम्बर की गई है। नगर निगम द्वारा दुकानदारों व नागरिकों अपील की जाती है कि नगर निगम द्वारा व्यापारी बंधुओं, दुकानदारों व नागरिकों से अपील की जाती है कि अपनी दुकान-अपनी पहचान की तर्ज पर अचल संपत्ति अन्तरण नियम 2016 अनुसार दुकान क्रय करने हेतु ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें। ई-निविदा संबंधी अधिक जानकारी सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्प्लेक्स में संचालित कार्यालय व नगर निगम विकास शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये। प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियो मे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नही कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉपमें जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

प्रसारण।

प्रसारण 23/10/21